8/5/18

पत्रावली अगत्य लोक अदालत कैम्प कोर्ट सवाईमाधोपुर में पेश हुई। वकील वादी उभय पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। विवादग्रस्त आराजी पैट्रोल पंप होकर विकल्प का प्रतिवादी नं0 के नाम दर्ज है। अतः वादी का दावा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88-188 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज रजिस्टर से काम हो। निर्णय पूर्ण के लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रकाशन उपरान्त 210 लोक अदालत कैम्प कोर्ट सवाईमाधोपुर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सॉंभर लेक

NAD 18 Cop
मजा ली ई

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner